

**कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक
मध्यप्रदेश.**

क्रमांक / 388 / तकनीकी / 2007
प्रति,

भोपाल, दिनांक 05 फरवरी 2007.

समस्त जिला पंजीयक,
मध्यप्रदेश.

विषय :- कम्पनियों के amalgamation, merger, division, आदि के दस्तावेजों के पंजीयन की जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में ।

---0---

यह देखने में आया है कि राज्य में कम्पनियों के अंतरण, समामेलन, विलयन, डिमर्जर आदि के दस्तावेजों में अचल सम्पत्ति का अंतरण तो बताया जाता है किन्तु प्लांट व मशीनरी तथा अन्य चल सम्पत्ति का अंतरण नहीं दर्शाया जाता है, जबकि ये कम्पनियां as is where is basis पर अंतरित होती हैं ।

कृपया आपके क्षेत्राधिकार के उप पंजीयक कार्यालयों में जिन कम्पनियों के अंतरण से संबंधित दस्तावेजों का पंजीयन कराया गया है, उनसे संबंधित वर्ष 2004.05 से अभी तक की जानकारी संलग्न प्रारूप में पंद्रह दिवस में इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं, साथ ही इसकी एक प्रति अपने जिले से संबंधित वाणिज्यिक कर अधिकारी को भी अनिवार्य रूप से भेजें। भविष्य में जब भी इस प्रकार कम्पनियों का अंतरण होता है, तत्संबंधी जानकारी अपने जिले से संबंधित वाणिज्यिक कर अधिकारी को उपलब्ध कराएं ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार.

हस्ता / -
महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश.

पृष्ठांकन क्रमांक / 389 / तकनीकी / 2007
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक फरवरी, 2007.

आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, मध्यप्रदेश, इंदौर की ओर उनके पत्र क्रमांक 206/2006/41-B / इक्कीस / 1146 दिनांक 8.12.2006 के तारतम्य में सूचनार्थ ।

हस्ता / -
जिला पंजीयक,
वास्ते महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश.

संलग्न प्रारूप

स. क्र.	दस्तावेज क्रमांक एवं दिनांक	अंतरणकर्ता कंपनी का नाम	अंतरण ग्रहिता का नाम	दस्तावेज द्वारा अंतरित संपत्ति का मूल्य		
				अचल संपत्ति	चल संपत्ति	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)